न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2020(2020/00204)

1. बन्ना पुत्र श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवपुरा फारकिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

वनाम

1. श्रीमति लादी पत्नी श्री रामेश्वर।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री वरदा।
3. जगदीश पुत्र ज्वारा।
4. धन्ना पुत्र श्री वख्तावर।
5. रामेश्वर पुत्र श्री वरदा।
6. रामस्वरूप पुत्र श्री वरदा।
7. हजारी पुत्र श्री वख्तावर।
8. अमरी पुत्री श्री छीतर।
9. केसर पुत्री श्री छीतर।
10. रतनी पुत्री श्री छीतर।
11. रामचन्द्र पुत्र श्री छीतर।
12. लादू पुत्र श्री छीतर।
    समस्त जाति बैरवा निवासीगण देवपुरा फारकिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
13. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड — वकील प्रार्थी
श्री नंदकिशोर—वकील अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार जरीये तहसीलदार केकडी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक—19.9.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम देवपुरा तहसील केकडी की आराजीयात निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
85—73	620	0.66	बारानी—2
	किता 1	रकबा 0.66हैक्टर	

उक्त वादग्रस्त आरजीयात के पास अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा संख्या 615, 616, 617, 618, 624 स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के पश्चात् दक्षिणी और कोदारियां का रास्ता स्थित है जिस पर होकर प्रार्थी अपनी भूमि खसरा संख्या 620 की काश्त वर्षो से करता चला आ रहा है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का उक्त खेत पर आने जाने का रास्ता बंद करने के उदेश्य से आज से छ माह पूर्व स्वंय के खेतो पर सीमेन्ट के खम्भे गाडकर तारबन्दी कर प्रार्थी का रास्ता बंद कर दिया तथा कहा कि राजस्व रेकार्ड में तुम्हारा कोई रास्ता नही है इस कारण आने जाने नही दूंगा रास्ते का उपयोग नही करने दूंगा। अप्रार्थीगण की भूमि से प्रार्थी की भूमि तक आने जाने हेतु रेकार्ड में कोई रास्ता तरमीम नही है इस कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी का रास्ता बंद कर लडाई झगडा करते रहते है। इस कारण रास्ते को रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है अतः मुझ प्रार्थी की उक्त खातेदारी कब्जे स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 620 वाके ग्राम देवपुरा फारकिया तहसील केकडी जिला अजमेर पर आने जाने हेतु प्रार्थी को रास्ता दिलाया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

.....पत्रावली पेश हुई

गई। अप्रार्थी संख्या–13 जर्ये पैरोकार सरकार केकडी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कि जो निम्नानुसार है:–

प्रार्थी की आराजीयात ग्राम देवपुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से स्थायी में खाता संख्या 85 खसरा नंबर 620 रकबा 0.66 किस्म बारानी–2 बन्ना पुत्र श्रीकिशन कौम गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज है प्रार्थी द्वारा समस्त कटानी रास्तों में खसरा नंबर 616, 617, 624 का रास्ता आसानी रहती है प्रतिकर रकम पर व आपसी करार में सहमत नही है प्रार्थी के खत में निकटतम दूरी पर खसरा नंबर 827 कटानी रास्ता पडता है तथा निकटतमदूरी से खसरा नंबर 620 में जाने हेतु खसरा नंबर 616 में 38x5=190वर्गमीटर खसरा नंबर 617 में 10x5=50वर्गमीटर व खसरा नंबर 624 में 60x5=300वर्गमीटर कुल 540वर्गमीटर रास्ता बनता है खसरा नंबर 618 व 617 सिवाइचक भूमि है तथा खसरा नम्बर 624 लादी पत्नी रामेश्वर जाति बैरवा सा.देह खातेदार राहिन एस.बी.आई शाखा खवास के नाम दर्ज है ग्राम देवपुरा जिसकी डी.एल.सी दर 225423 प्रति हैक्टर है उक्त रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की राशि 0.0240x2x225423=10820रूपये व खातेदारी में रास्ते का रकबा 0.03x2x225423=13525 रूपये बनते है। रास्ते में उपयोग आयी भूमि की कुल राशि 24345रूपये बनते है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के तारबंदी कर रखी है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 620 रकबा 0.66हैक्टर पर आने जाने हेतु आराजी खसरा नंबर 616,617,624 में से होकर रास्ता चाहा गया है जो निकटतम रास्ता जो मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन है निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी ग्राम देवपुरा खसरा नंबर 620 रकबा 0.66हैक्टर में आने जाने के लिए आराजी खसरा नंबर 616, 617, 624 मे से होकर रास्ता चाहा है अप्रार्थीगण सहमत नही है प्रार्थी को खातेदारी खसरा नंबर 620 पर अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नंबर 616, 617, 624 में से आने जाने हेतु आवेदित प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 616 में 38x5=190वर्गमीटर खसरा नंबर 617 में 10x5=50वर्गमीटर व खसरा नंबर 624 में 60x5=300वर्गमीटर कुल 540वर्गमीटर रास्ता बनता है खसरा नंबर 616 व 617 सिवाइचक भूमि है तथा खसरा नम्बर 624 लादी पत्नी रामेश्वर जाति बैरवा सा.देह खातेदार राहिन एस.बी.आई शाखा खवास के नाम दर्ज है ग्राम देवपुरा जिसकी डी.एल.सी दर 225423 प्रति हैक्टर है उक्त रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की राशि 0.0240x2x225423=10820रूपये व खातेदारी में रास्ते का रकबा 0.03x2x225423=13525 रूपये बनते है। रास्ते में उपयोग आयी भूमि की कुल राशि 24345रूपये बनते है। उक्त राशि अप्रार्थीगण को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 616, 617, 624 में मौका रिपोर्ट अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थी से उक्त रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि 13525रूपये प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे व अप्रार्थीगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावे व सिवायचक रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की राशि 10820रूपये प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायी जाकर। आराजी ग्राम देवपुरा के खसरा नंबर 620 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner